न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–05/16–17
राज्य बनाम् सोनू कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
16.05.2017	प्रश्नगत अधिहरण वाद की कार्रवाई मानसी थाना कांड संख्या 243/2016 दिनांक 08.12.2016 के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, खगड़िया द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर प्रारंभ की गयी है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्र के साथ संलग्न अभिलेख का अवलोकन किया, जिसमें दर्ज प्राथमिकी के साथ तलासी–सह–जप्ती सूची संलग्न है। साथ ही अनुसंधान व पर्यवेक्षण टिप्पणी भी संलग्न है। पर्यवेक्षंण टिप्पणी का अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन 2 एवं 3 में तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया के पर्यवेक्षण टिप्पणी के पठन से स्पष्ट है कि मानसी थाना कांड संख्या 243/16 दिनांक 08.12.2016 से संबंधित जप्त वाहन टाटा जेस्ट बी0आर0 10ए 0021 का उपयोग राज्य में शराब लाकर खरीद बिक्री में किया जा रहा था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के प्रतिवेदन में वाहन चालक मौके पर गिरफ्तार डॉनटी कुमार उर्फ गौरव की स्वीकारोक्ति ब्यान के अनुसार प्रश्नगत वाहन का मालिक सोनू कुमार पुत्र राजेन्द्र साह, निवासी चित्रगुप्तनगर, जिला–खगड़िया है। जिनसे उनकी पूर्व से जान पहचान थी और वाहन खरीदने के उपरांत डॉनटी कुमार उर्फ गौरब को ड्राईवर के रूप में रखा था। प्रश्नगत वाद में सभी संबंधितों को नोटिस के माध्यम् से सूचना दी गयी जो अभिलेखवद्ध है। साथ ही दिनांक 07.04.2017 को समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशन के माध्यम् से इसका प्रकाशन किया गया था। सुनवाई के दौरान विपक्षी वाहन मालिक सोनू कुमार की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए और उनके द्वारा आपत्ति भी दाखिल की गयी। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उपस्थित हुए। विपक्षी के अधिवक्ता द्वारा समर्पित आपत्ति आवेदन में उन्होंने किसी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं किया है। बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गयी जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए यह कहा गया है कि जप्त वाहन अधिनियम की धारा 58 (2) के अन्तर्गत अधिहरण करने योग्य है। उन्होंने इस कांड से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने इस कांड में अधिहरण योग्य वाहन से जप्त शराब का भी उल्लेख किया है जो पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन 2 तथा प्राथमिकी आवेदन व जप्ती सूची में भी उल्लेखित है, जो इस प्रकार है :– 1. Royal Stag कम्पनी का 05 कार्टुन विदेशी शराब पाया गया। प्रत्येक कार्टुन में 375 एम0एल0 वाला 24 (चौबीस) बोतल। 2. Royal Stag कम्पनी का 01 कार्टुन जिसमें 750 एम0एल0 12 बोतल। 3. काले रंग के बैग में Royal Stag कम्पनी का 375 एम0एल 40 बोतल। 4. लाल रंग के बैग में Royal Stag कम्पनी का 375 एम0एल0 का 33 बोतल।	

	5. कत्थी रंग के बैग में Royal Stag कम्पनी का 375 एम0एल0 वाला 09 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ। इस प्रकार प्राथमिकी के साथ जप्ती सूची एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पर्यवेक्षण टिप्पणी के साथ हीं पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि जप्त वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब कारोबार के लिए किया जा रहा था। जो वर्त्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत गंभीर अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिहरण योग्य है। विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर और समय दिया तथा विभिन्न तिथियों पर सुना गया। उनके आपत्ति आवेदन में भी किसी प्रभावी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख नहीं है। उभय पक्षों की बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि वर्णित वाहन टाटा जेस्ट बी0आर0 10 ए 0021 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत अधिहरण किए जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है :– 1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन टाटा जेस्ट बी0आर0 10 ए 0021 जो जप्त कर मानसी थाना में रखा हुआ है का बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58(2) के अन्तर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण भार से मुक्त होगा। साथ ही लोकहित में यह भी यह आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा 58 (5) के अन्तर्गत सार्वजनिक नीलामी के माध्यम् से इसकी बिक्री किया जाय। 2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे थाना में जप्त वाहन टाटा जेस्ट बी0आर0 10 ए0 0021 को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम् से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर समर्पित करेंगे। 3. सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देखरेख में की जायेगी और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया 22/5/17 समाहर्त्ता, खगड़िया 22/5/17 न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी खगड़िया (बिहार)	Seen 22.5.17